



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239240
CG-DL-E-30092022-239240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4417]
No. 4417]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4625(अ).—केन्द्रीय सरकार, तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को तंबाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, और उस प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) के संख्यांक का.आ. 5417, दिनांक 17 दिसम्बर 1975 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, “ धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड.) के तहत नियुक्त ” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 21,22,23, और 24, तथा इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

21. श्री विक्रम राज जी.सी., कर्नाटक	सदस्य	तंबाकू के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
22. श्री ब्रह्मैया बोद्दापति, आंध्र प्रदेश	सदस्य	तंबाकू के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
23. गुट्टा वासु बाबू, आंध्र प्रदेश	सदस्य	तंबाकू के डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
24. श्री बी. रमेश पाई, कर्नाटक	सदस्य	तंबाकू विपणन में विशेषज्ञ।”।

[फा. सं. 2 /3 /2015 -ईपी (एग्री-VI) /पार्ट-I]

एम. बालाजी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5417, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा उसमें विगत संशोधन दिनांक 2 जून, 2022 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2539(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4625(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints the following persons to be the members of the Tobacco Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), number S.O. 5417, dated the 17th December, 1975, namely:-

In the said notification, under the heading, “appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4”, for serial numbers 21, 22, 23 and 24 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- | | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| “21. Shri Vikram Raj G.C., Karnataka | Member | To represent the growers of tobacco |
| 22. Shri Brahmaiah Boddapati, Andhra Pradesh | Member | To represent the growers of tobacco |
| 23. Gutta Vasu Babu, Andhra Pradesh | Member | To represent the dealers of tobacco |
| 24. Shri B. Ramesh Pai, Karnataka | Member | Expert in tobacco marketing.”. |

[F. No. 2/3/2015-EP(Agri.VI)/Pt.1]

M. BALAJI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number S.O. 5417, dated the 17th December, 1975 and was lastly amended *vide* notification number S.O. 2539(E), dated the 2nd June, 2022.